October - December, 2016

Rajasthan Police Academy

Newsletter

दीक्षान्त परेड दिनांक 23 दिसम्बर 2016 का निरीक्षण करते हुए माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार

इस अंक में .....

- आरपीएस व अन्य प्रशिक्षुओं का भव्य दीक्षान्त परेड समारोह
- पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धासुमन
- पुलिस ने बनाया व्यवहार सुधारने का मन
- परिवहन उप निरीक्षकों का अकादमी में बेसिक प्रशिक्षण
- राजस्थान पुलिस अकादमी बनी उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ अकादमी
- दक्षिण एशियाई सूफी समारोह में राजस्थान पुलिस एक सूफी अवतार में

निदेशक की कलम से ...

"Perfection is not attainable but if we chase Perfection, we can catch EXCELLENCE."

इस कथन को चरितार्थ करने की ओर सार्थक प्रयास पिछले कुछ समय से राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा किये जा रहे हैं। इसके लिए अकादमी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। 24 नवम्बर 2016 को राजस्थान पुलिस अकादमी को केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा दिया गया उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का अवार्ड तथा 23 दिसम्बर 2016 को माननीय गृहमन्त्री महोदय, राजस्थान सरकार के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुई आरपीएस, उप निरीक्षक तथा रिक्रूट बैण्ड कान्स्टेबल की पासिंग आउट परेड भी इस वाक्य को सार्थक कर रही है। इसके लिए अकादमी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।

अकादमी की कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन करते हुए अकादमी को 48 केन्द्रों में बाँटा जाकर कार्य विभाजन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र के अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए जाकर इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रशिक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत पुलिस के व्यवहार में सुधार हेतु एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया जिसके अन्तर्गत सभी जिलों के एक–एक थानाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है जो रेंज महानिरीक्षक पुलिस के पर्यवेक्षण में रेंज में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रेंज के सभी थानाधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसके अतिरिक्त साईबर क्राईम, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध तथा महिला एवं बालकों के मुद्दों पर भी अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त सामाजिक सरोकार से जुड़ने का प्रयास भी अकादमी द्वारा किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अकादमी के सभी कर्मियों तथा उनके परिवार के स्वास्थ्य परीक्षण, सेवा संकुल आवासीय परिसर की महिलाओं के लिए ब्यूटीशियन कोर्स तथा संस्था के प्रशिक्षुओं की राज्य के विभिन्न समारोहों में सांस्कृतिक प्रस्तुति इसका भाग है।

अपने लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तथा स्वयं की क्षमता पर संदेह नहीं करते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करना सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति है। इसी भावना के साथ अकादमी परिवार द्वारा कार्य किये जा रहे हैं, जो निःसन्देह लक्षित परिणाम देंगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है।

जय हिन्द!

राजीव दासोत
निदेशक

आरपीएस व अन्य प्रशिक्षुओं का भव्य दीक्षान्त परेड समारोह

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 23 दिसम्बर 2016 को आर.पी.एस.(प्रोबेशनर), उप निरीक्षक.(प्रोबेशनर), प्लाटून कमाण्डर(प्रोबे.), राजस्थान पुलिस कांस्टेबल (बैण्ड) रिक्रूट तथा सी.आई.एस.एफ. कांस्टेबल (बैण्ड) रिक्रूट का दीक्षांत परेड समारोह भव्यता पूर्वक आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस के 70 वर्षों के इतिहास में 45 आर.पी.एस. प्रशिक्षुओं का यह बैच सबसे बड़ा बैच रहा। इसी प्रकार यह पहली बार हुआ कि राजस्थान पुलिस अकादमी में पैरा मिलिट्री फोर्स (CISF) के कान्स्टेबलों को प्रशिक्षित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि गृहमंत्री राजस्थान सरकार श्री गुलाब चंद कटारिया ने नव प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे पुलिस महकमें में नई परम्पराएं और आयाम स्थापित करते हुए विभाग की छवि को नया रूप दें, ताकि पुलिस के प्रति जनता की पुरानी धारणाएं खत्म हो सकें। उन्होंने कहा कि अब समय बदल गया है, हमें भी बदलने की जरूरत है, जिससे कि

हम आम जनता की समस्याओं को समझ कर उन्हें राहत पहुँचा सकें।

इस दीक्षान्त परेड समारोह में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों ने श्री देवेन्द्र सिंह, आर.पी.एस. (प्रशिक्षु) के नेतृत्व में पूरे जोश के साथ शानदार परेड का प्रदर्शन किया तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए संविधान की शपथ ली। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया गया। आरपीएस प्रशिक्षणार्थियों में आल राउण्ड में सर्वश्रेष्ठ एवं इण्डोर विषयों में प्रथम रहे श्री देवेन्द्र सिंह, आउटडोर विषयों एवं फायरिंग में प्रथम श्री सौरभ तिवाड़ी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल (बैण्ड) रिक्रूट के आल राउण्ड बैस्ट श्री गणपत लाल, इण्डोर में प्रथम श्री यार मौहम्मद, आउटडोर में प्रथम श्री विष्णु तथा सी.आई.एस.एफ. कांस्टेबल (बैण्ड) रिक्रूट के आल राउण्ड बैस्ट तथा आउटडोर में प्रथम श्री सुरेश, इण्डोर में प्रथम अनु एस. राज को माननीय गृह मंत्री महोदय ने पदक एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि राजस्थान पुलिस अकादमी ने अनेक नवाचार स्थापित करते हुए पुलिस अधिकारियों को पुलिस कार्यशैली का गहन प्रशिक्षण प्रदान

कर इनके व्यक्तित्व को निखारा है। इसके लिए उन्होंने राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत एवं समस्त आरपीए परिवार को बधाई दी।

राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अकादमी की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारियों एवं उप निरीक्षकों एवं बैण्ड रिक्रूट को प्रशिक्षण के दौरान उनके पुलिस सेवाकाल में उपयोग में आनेवाली हर विधा का गहन प्रशिक्षण दिया गया है।

कार्यक्रम के अन्त में महिला प्रशिक्षणार्थियों द्वारा यूएसी का शानदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न फॉल्स एवं कॉम्बेट का प्रदर्शन किया। शौर्य प्रदर्शन के रूप में आग के गोले में से निकलना, जलती हुए ईंटों को हाथ से तोड़ना आदि शामिल था। आँख पर पट्टी बांधकर 2 मिनट से कम समय में हथियारों का खोलना–जोड़ना प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण कौशल को बयां कर रहा था। प्रशिक्षण में लेजियम नृत्य की लय एवं फॉर्मेशन्स ने सब का मन मोह लिया। मराठी रंग–बिरंगी पोशाक में सजी–धजी महिला कान्स्टेबल्स ने लेजियम नृत्य के माध्यम से वीर शिवाजी के रणकौशल की बानगी दिखाई तो सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। वीर राणा की धरती पर महाराष्ट्र की पारम्परिक वेशभूषा में सजी–संवरी महिलाओं ने विविधता में एकता की छाप छोड़ी। इस अवसर पर राजस्थान सेन्ट्रल बैंड द्वारा भी आकर्षक धुनों द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों का भरपूर मनोरंजन किया गया।

लंगा–मांगणियार बैण्ड पार्टी ने खड़ताल एवं मोरचंग के साथ जब ''दमादम मस्त कलंदर'' प्रस्तुत किया तो धोरों की गूंज सुनाई पड़ी। गायन इतना मधुर था कि दर्शक भी गुनगुनाने को मजबूर हो गये।

पास आउट हो रहे प्रशिक्षणार्थियों के सम्मान में 'बड़ा खाना'

राजस्थान पुलिस अकादमी में नौ माह का निरन्तर प्रशिक्षण पूर्ण कर पास–आउट होने जा रहें आर.पी.एस., उप निरीक्षक एवं बैण्ड कान्स्टेबल प्रशिक्षुओं के सम्मान में दिनांक 26.11.2016 को सांयकाल 'बड़ा खाना' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अकादमी के स्टेडियम में लगभग 1000 पुलिस प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सहभोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अकादमी परिसर एवं स्टेडियम में विशेष रूप से सजावट की गई। अकादमी के प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षकों में प्रगाढ़ संबंधों की झलक दिखलाई दे रही थी। प्रशिक्षण में जिन प्रशिक्षकों ने अपने दृढ़ निश्चयी स्वभाव का परिचय देते हुए प्रशिक्षुओं को भगाया–दौड़ाया, उन्हीं प्रशिक्षकों की मनुहार से प्रशिक्षु भाव विभोर हो गये।

इस अवसर पर राजस्थान पुलिस सैन्ट्रल बैण्ड एवं दक्षिण एशियाई सूफी समारोह में प्रस्तुति देने वाली प्रशिक्षु बैण्ड कान्स्टेबल की लंगा–मांगणियार पार्टी और प्रशिक्षुओं एवं प्रशिक्षकों ने भाव भीनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मनोरंजन किया। समारोह में राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक, समस्त सहायक निदेशक एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी एवं उप निरीक्षक पुलिस पीसीसी, सहायक उप निरीक्षक पुलिस पीसीसी तथा प्रशिक्षु महिला कान्स्टेबल शामिल हुये।

राजस्थान पुलिस अकादमी बनी उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ अकादमी

केन्द्रीय गृह मन्त्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अकादमी की प्रतिस्पर्द्धा में राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ अकादमी घोषित किया गया है। इस चयन प्रक्रिया में राजस्थान पुलिस अकादमी ने उत्तर जोन के विभिन्न राज्यों यथा जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली की पुलिस अकादमियों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा की।

अन्त में राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्तरी जोन की सर्वश्रेष्ठ अकादमी घोषित किया गया। यह चयन अकादमी के निर्धारित मानकों, आधारभूत प्रशिक्षण, रखरखाव तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। इस चयन पर केन्द्रीय गृह मन्त्रालय की ओर से दो लाख रुपये की इनामी राशि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान की जाएगी।

दिनांक 24.11.2016 को गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस आशय की पुष्टि की गई है तथा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्तरी भारत की सर्वश्रेष्ठ अकादमी के चयन की उपलब्धि पर अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत को बधाई दी है।

अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने उत्तरी जोन की सर्वश्रेष्ठ अकादमी में राजस्थान पुलिस अकादमी के अन्तिम रुप से चयन पर अकादमी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है तथा अकादमी को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अकादमी बनाने का प्रयास करने का आह्वान किया है।

महेश कुमार ने जीता स्वर्ण पदक

राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित श्री महेश कुमार उप निरीक्षक ने कर्नाटक पुलिस अकादमी, मैसूर में आयोजित 60वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट–2016 में Scientific Aids to Investigation Competitions इवेन्ट के अन्तर्गत "Crime Investigation, Law & Procedures/Act/ Rules and Judgements, etc" विषय में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। Scientific Aids to Investigation की कुल 08 प्रतियोगिताओं में यह सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें उप निरीक्षक एवं निरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी ही भाग ले सकते हैं।

उनकी इस उपलब्धि पर महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) श्री नन्द किशोर व राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

जितेन्द्र ने नेशनल घुडसवारी चैम्पियनशिप में जीते पदक

राजस्थान पुलिस अकादमी में पदस्थापित घुडसवार कानि. नं. 98 श्री जितेन्द्र कुमार ने बैंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय ओपन घुड़सवारी प्रतियोगिता में दो पदक हासिल किये हैं। जितेन्द्र ने नोविस क्रॉस कन्ट्री टीम प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक तथा फ्री नोविस क्रॉस कन्ट्री टीम प्रतिस्पर्द्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। जितेन्द्र अब तक विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक सहित 11 पदक जीत चुका है।

जितेन्द्र की इस सफलता पर राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने बधाई दी है तथा भविष्य में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धासुमन

पुलिस शहीद दिवस 21 अक्टूबर 2016 को प्रतिवर्ष की भाँति राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विगत एक वर्ष में कर्त्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले केन्द्रीय पुलिस बलों एवं राज्य पुलिस बलों के अधिकारियों व कर्मचारियों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरूआत महानिदेशक पुलिस श्री मनोट भट्ट के प्रातः 08 बजे आगमन से शुरू हुई जिनका सम्मान गार्ड द्वारा अभिवादन किया गया। गार्ड कमाण्डर द्वारा परेड के निरीक्षण के लिए उन्हें आमन्त्रित किया गया। तत्पश्चात् महानिदेशक पुलिस द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। महानिदेशक पुलिस ने इस अवसर पर विगत एक वर्ष में पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों में शहीद होने वाले 374 शहीदों के नाम उच्चारित किये। इस अवसर पर उन्होंने शहीद दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए प्रत्येक पुलिसकर्मी को उनसे प्रेरणा लेने तथा देश एवं समाज के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया। देश के लिए बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परम्पराओं का प्रतीक है। शहीद पुलिसकर्मी अन्य पुलिसकर्मियों के लिए अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि दुष्कर परिस्थितियों में राष्ट्रसेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले पुलिसकर्मी को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देना प्रत्येक पुलिसकर्मी का कर्त्तव्य है।

इस अवसर पर महानिदेशक पुलिस श्री भट्ट एवं पूर्व महानिदेशक पुलिस श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक श्री के. सी. मीणा व केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वाई. के. शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री नन्दकिशोर एवं सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह एवं आरपीए के निदेशक श्री राजीव दासोत एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर, श्री महेन्द्र चौधरी ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समारोह में मौजूद पुलिस अधिकारी व कर्मचारी और उनके परिजनों ने शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त महानिदेशक होमगार्ड श्री एस.पी.सिंह श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त महानिदेशक पुलिस श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, श्री मनोज भट्ट एवं केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक श्री के.सी. मीणा ने शहीद स्मारक के बाहर नवनिर्मित ''शहीद स्मारक सम्मान पट्टिका'' का विधिवत अनावरण किया।

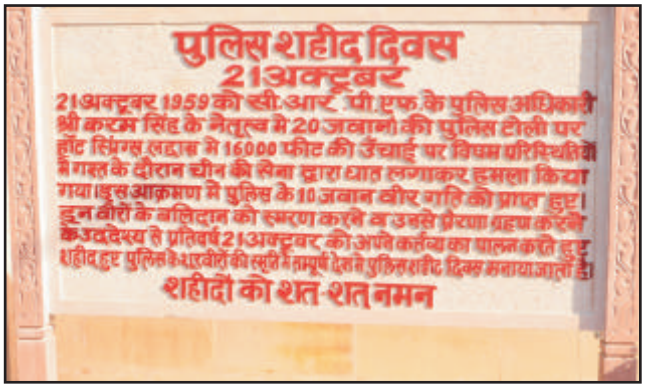

अकादमी में मानवाधिकार पर राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता

मानवाधिकार दिवस पर दिनांक 10 दिसम्बर 2016 को राजस्थान पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। ''नैतिक पुलिसिंग मानवाधिकारों एवं प्रजातन्त्र के लिए खतरा है'' विषय पर आयोजित हुई इस वाद विवाद प्रतियोगिता में रेंज स्तर पर चुने हुए 32 प्रतिभागियों ने अपने अपने विचार रखे।

इस वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु निर्णायक मण्डल में डॉ एम. के. देवराजन, पूर्व महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान एवं पूर्व सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग, श्री एन. मोरिस बाबू, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस होमगार्ड एवं टीवी प्रस्तोता एवं शिक्षाविद् डॉ अनिता हाडा सांगवान रही।

सभी प्रतिभागियों ने विषय के पक्ष विपक्ष में अपना मत रखते हुए नैतिक पुलिसिंग, मानवाधिकार एवं प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के संबंध में अपने विचार रखे। अधिकतर प्रतिभागियों ने नैतिक पुलिसिंग को मानवाधिकारों एवं प्रजातन्त्र के लिए खतरा माना। सभी प्रतिभागियों के विचार सुनने के पश्चात् निर्णायक मण्डल ने गहन विचार एवं मन्त्रणा कर प्रतिभागियों की विषय वस्तु, भाषा एवं प्रस्तुतीकरण के आधार पर परिणाम घोषित किया।

श्री एन. मोरिस बाबू, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस होमगार्ड ने परिणाम घोषित करते हुए विषय के पक्ष में अपना मत रखने वाली डॉ. प्रियंका, आरपीएस प्रशिक्षु को प्रथम, सुश्री कमली यादव, महिला कानि 761, 11वीं बटालियन आरएसी को द्वितीय तथा श्रीमती सुनीता, महिला कानि. 306, हाडी रानी महिला बटालियन को तृतीय स्थान हेतु चयन कर पुरस्कृत किया। इसी प्रकार विषय के विपक्ष में अपना मत रखने वाले श्री राकेश कुमार, कानि. 384, जिला चूरु को प्रथम, श्री महावीर चोटिया आरपीएस प्रशिक्षु को द्वितीय तथा श्री नारायण चूरा, कानि. 557, जिला बीकानेर को तृतीय स्थान पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किये गये।

महिलाओं को विधिक संरक्षण एवं पुलिस

महिला सुरक्षा प्रारम्भ से ही चिन्ता का विषय रही है तथा जब लिखित विधि नहीं थी तब भी उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास किये जाते थे। लिखित विधि में प्रमुखतया भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में महिला की लज्जा भंग, अपहरण एवं व्यपहरण, बलात्कार, मानव तस्करी एवं उनकी लज्जा का अनादर किये जाने वाले अपराधों से विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें विधिक संरक्षण प्रदान किया गया। आवश्यकता के अनुसार उस संरक्षण में दहेज मृत्यु या किसी अन्य के अधीन होने की स्थिति में संभावित दैहिक शोषण में उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। पति अथवा नातेदारों द्वारा किये जाने वाले क्रूरतापूर्ण बर्ताव में भी विधिक संरक्षण प्रदान किया गया।

विधिक संरक्षण के उपरान्त भी महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण विशेष अधिनियमों के माध्यम से अर्थात दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, राजस्थान सती (निवारण) अधिनियम 1987, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण एवं निवारण अधिनियम 2013 आदि द्वारा विधिक संरक्षण प्रदान किया गया। विधिक संरक्षण के बावजूद भी महिलाओं के विरुद्ध पहले से भी अधिक जघ्न्य अपराध होने लगे जिसमें अम्ल फैकना, सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार, छोटी–छोटी बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार, महिलाओं के अश्लील वीडियो एवं गलत मैसेज भेजना आदि हैं। दिल्ली में निर्भया काण्ड के बाद जन आक्रोश ने महिलाओं के संरक्षण के लिए और अधिक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस निमित उक्त घटना के बाद जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं के संरक्षण के लिए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधन करने के लिए अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया।

इस अधिनियम के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 में संशोधन करके अम्ल से किये जाने वाले हमलों में संरक्षण प्रदान करते हुए इस प्रकार के हमलों में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का किया गया। उक्त संशोधन में लोक सेवक जो 1) विधि के अधीन निदेश जो उसे किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किये जाने से प्रतिषिद्ध करता है, अवज्ञा करता है या 2) अन्वेषण को विनियमित करने वाली किसी विधि के किसी अन्य निदेश की अवज्ञा करता है या 3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354ख, धारा 370, धारा 370क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ड़ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166क में दण्ड का प्रावधान किया गया है।

नई परिस्थितियाँ, जिसके लिए महिलाओं को विधिक संरक्षण की आवश्यकता थी, का दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2013 में समावेश किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में पूर्व के दण्ड में वृद्धि की गई है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 क के द्वारा अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव, लैंगिक स्वीकृति की मांग या अनुरोध, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाना एवं लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करने पर अंकुश लगाया गया। दृश्यरतिकता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354ग में अपराध के रूप में शामिल किया जाकर स्त्री की निजता एवं आत्म सम्मान की रक्षा का प्रयास किया गया। स्त्री से व्यक्तिगत सम्पर्क को आगे बढ़ाने के लिए पीछा करने को भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354घ में अपराध की श्रेणी में रखा गया एवं इसके अन्तर्गत इंटरनेट, ई–मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनीटर करने को भी पीछा करने की श्रेणी में माना गया। शोषण के लिए व्यक्तियों को भर्ती करना, परिवहन करना, संश्रय देना एवं गृहित करना, जो धमकी, बल या उत्पीड़न, अपहरण, कपट या प्रवंचना, शक्ति का दुरूपयोग या उत्प्रेरण का प्रयोग करके किया गया है, वह व्यक्ति के दुर्व्यापार के रूप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 में दण्डित किया गया है। इस अपराध के लिए कम से कम 7 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड का प्रावधान

किया गया है। एक से अधिक व्यक्तियों के लिए तथा किसी अवयस्क का दुर्व्यापार करने के लिए कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक से अधिक अवयस्कों के दुर्व्यापार के लिए कम से कम 14 वर्ष तथा एक से अधिक अवसरों पर अवयस्कों का दुर्व्यापार किये जाने के अपराध के लिए दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास से, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास से अभिप्रेत है, दण्डित करने का प्रावधान किया गया है।

संशोधन के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में बलात्संग की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया है तथा नई परिस्थितियों का समावेश करते हुए और अधिक विस्तृत किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की तथा सम्मति संसूचित करने में असमर्थ महिलाओं की सम्मति को सम्मति नहीं माना गया है। उन परिस्थितियों में भी विस्तार किया गया है जहाँ एक स्त्री के साथ बलात्कार जैसी घटना हो सकती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी होते हुए, अपने पुलिस थाने की सीमा में/थाने के परिसर में/पुलिस अभिरक्षा में, लोक सेवक की अभिरक्षा में, किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से, किसी अस्पताल के प्रबंधन या कर्मचारी द्वारा अस्पताल में किसी स्त्री से, स्त्री के नातेदार, संरक्षक या अध्यापक या उसके प्रति न्यास या प्राधिकार की हैसियत के व्यक्ति द्वारा, सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान, गर्भवती महिला के साथ, 16 वर्ष से कम आयु की होने पर, सम्मति देने में असमर्थ होने पर, नियन्त्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त स्त्री के साथ, बलात्कार करते समय किसी स्त्री को गम्भीर उपहति, विकंलागता या विद्रूपित करेगा तथा किसी स्त्री के साथ बार–बार बलात्कार करने पर, कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376ए में बलात्कार के दौरान क्षति से स्त्री की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने पर कम से कम 20 वर्ष की कठोर सजा निर्धारित की गई है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 में भी संशोधन किया जाकर किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से किये गये कृत्य में सजा बढ़ाई गई है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया जाए तो प्रति 54 मिनट में एक बलात्कार, प्रति 26 मिनट में छेड़–छाड़, प्रति 33 मिनट में हिंसा, प्रति 1 घण्टा 40 मिनट में दहेज हत्या महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की क्रूर तस्वीर बयाँ करते हैं। प्रति वर्ष 5 से 15 वर्ष की 20 हजार लड़कियाँ देह व्यापार में झोंक दी जाती हैं। पुलिस महिला सशक्तिकरण में अपनी भूमिका निर्वाह कर महिला विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पुरूषों के समान संख्या में महिलाओं के नियोजन होने की स्थिति में जीडीपी में 25 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। महिला शिक्षा को राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण अवयव माना जाना चाहिए। अतः पुलिस महिला सुरक्षा में अपनी भूमिका का निर्वाह कर उन्हें शिक्षा के लिए उचित वातावरण प्रदान कर तथा सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रहार कर महिला सशक्तिकरण के लिए जमीन तैयार कर सकती है।

महिलाओं को एक चीनी कहावत के अनुसार आधे आसमान की मालिक बताया गया है। वास्तव में महिलाओं की स्थिति अभी भी जमीनी अधिकारों को प्राप्त करने से बहुत दूर है। शिक्षा, विषयों का चयन, रोजगार का चयन, यात्रा, जीवनसाथी का चुनाव सभी में उसे अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की सम्पूर्ण क्षमताओं के विकास का अवसर प्रदान करने के स्थान पर हम उन्हें सुरक्षा के नाम पर उनकी इच्छा के विरुद्ध अनेक स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं। पुलिस को चाहिये कि जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं तथा अभिभावकों को महिला सुरक्षा का भरोसा दिलायें तथा उन्हें सशक्त होने में महती भूमिका का निर्वाह करे। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही के साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा महिला अपराधों में अधिक से अधिक मामलों में अपराधियों को सजा दिलवाने का काम करे।

— **जगदीश पूनियाँ,** उप अधीक्षक पुलिस

पुलिस ने बनाया व्यवहार सुधारने का मन

राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रथम बार पुलिस थानाधिकारियों के लिए दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2016 तक तीन दिवसीय 'पुलिस व्यवहार में सुधार' (Improvement in Police Behaviour) का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 37 थानाधिकारीयों एवं 45 आरपीएस प्रशिक्षु शामिल हुए। प्रशिक्षण के समापन सत्र में श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृहमन्त्री, राजस्थान सरकार एवं श्री मनोज भट्ट, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के अलावा पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस आयुक्तालय से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के कई अधिकारी पधारे। समापन सत्र में बोलते हुए गृहमन्त्री महोदय ने पुलिस व्यवहार में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अत्यधिक विकट परिस्थितियों में एवं समर्पित भाव से कार्य करते हुए भी जनता से उतना सम्मान प्राप्त नहीं कर पाती है जितने की वह वास्तव में हकदार है। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने से जो खुशी मिलती है वह किसी को पीड़ा देने से नहीं मिलती है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्भीक होकर कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि अच्छा कार्य करते हुए भी अगर कोई दण्ड प्राप्त होता है तो उसमें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए।

इस अवसर पर बोलते हुए महानिदेशक पुलिस, राजस्थान श्री मनोज भट्ट ने कहा कि हमें जनता की सेवा के लिए भर्ती किया गया है तथा उसके प्रजातान्त्रिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पुलिस के मृदु व्यवहार को प्रजातन्त्र की आत्मा बताते हुए मृदु व्यवहार के कारण ही विकसित देशों में पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त होना बताया। हमें सामन्ती अवशेष के रूप में कार्य नहीं करके प्रजातन्त्र के मूल्यों के अनुरूप अपने व्यवहार में अन्तर लाना चाहिए। प्रशिक्षण के समापन सत्र के प्रारम्भ में श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को 'चैंज एजेन्ट' के रूप में तैयार किया गया है। प्रशिक्षित प्रतिभागी सम्बन्धित रेंज महानिरीक्षक पुलिस के साथ अगले दो माह में सभी रेंज के पुलिस थानाधिकारियों को पुलिस व्यवहार में सुधार का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

प्रशिक्षण के अन्त में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण श्री नन्दकिशोर ने 'लीडरशिप बाई एग्जाम्पल' पर बल देते हुए पुलिसकर्मियों को 'सैन्स ऑफ प्राइड' रखने का आह्वान किया।

इस प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं उपादेयता पर आरपीएस प्रशिक्षु डॉ. सीमा चौहान एवं पुलिस निरीक्षक रविन्द्र सिंह ने अपने विचार रखते हुए इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं राजस्थान पुलिस के छवि में सुधार का अभिनव प्रयास बताया।

परिवहन उप निरीक्षकों का अकादमी में बेसिक प्रशिक्षण

परिवहन विभाग के अनुरोध पर राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा परिवहन विभाग के 130 उप निरीक्षकों का 10 सप्ताह का गहन बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया।

इन उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण का समापन सत्र राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 02.12.2016 को ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुआ, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं परिवहन मन्त्री श्री युनुस खान एवं प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र अग्रवाल पधारे। अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत भी इस विशेष अवसर पर परिवहन मन्त्री एवं परिवहन आयुक्त के साथ समारोह में उपस्थित थे। इस बैंच में 116 पुरुष एवं 14 महिला परिवहन उप निरीक्षक सम्मिलित थे तथा यह परिवहन विभाग के उप निरीक्षकों का अब तक का सबसे बड़ा बैच था। प्रशिक्षण के दौरान इन उप निरीक्षकों को इण्डोर एवं आउटडोर दोनों विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए परिवहन मन्त्री श्री युनुस खान ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके सेवाकाल में काम में आने वाले नियमों और कानून को नियमित रूप से सीखते रहने की सलाह देते हुए जीवन में प्रतिदिन दक्षता की तरफ कदम बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी आम जनता को राहत देने की है तथा इसके लिए हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षुओं को पारदर्शिता एवं जबावदेही से कार्य करने के साथ ही अनावश्यक विवाद से बचने की सलाह भी दी तथा अपने पद एवं वर्दी का इकबाल बनाये रखने का आह्वान किया।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रमुख शासन सचिव श्री शैलेन्द्र अग्रवाल ने सभी प्रशिक्षुओं से अकादमी में मिली शारीरिक फिटनेस को बनाये रखते हुए विभाग के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण के समापन सत्र में अकादमी के निदेशक श्री राजीव दासोत ने प्रशिक्षणार्थियों के लिए की गई विशेष व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए अकादमी में संचालित विभिन्न प्रशिक्षणों एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने आधारभूत प्रशिक्षण के महत्व पर बल देते हुए अन्य प्रशिक्षणों में भी पूर्ण गुणवत्ता बनाये रखने का महत्व बताया। इस अवसर पर उन्होंने अकादमी में संचालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यो की जानकारी भी प्रदान की

इस अवसर पर कोर्स के स्क्वॉड मॉनिटर्स एवं पुलिस शहीद दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को परिवहन मन्त्री द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये। प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर दो प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किये। अन्त में डॉ0 मनीषा अरोड़ा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी में इन्वेस्टिगेशन ऑफ साईबर क्राईम केसेज विषय पर दिनांक 21.11.2016 से 30.11.2016 तक बीपीआरएण्डडी द्वारा प्रायोजित कोर्स का आयोजन किया गया।

इस कोर्स में पुलिस के उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक रैंक के 29 अधिकारियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक (विशिष्ठ कोर्स एवं सी.ओ.ई.) ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरूआत की। इसके पश्चात् प्रथम दिवस से साईबर क्राईम के विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा वर्तमान में हो रहे साईबर क्राईम से संबंध जोड़ते हुए अपने–अपने विषयों पर व्याख्यान दिये गये, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री शरत कविराज, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी डॉ सीबी शर्मा, वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ श्री सचिन शर्मा द्वारा मुख्यरूप से तकनीकी विषयों पर विशेष जोर दिया गया।

इसी कड़ी में विशेष रूप से मोबाईल फोरेसिंक हेतु राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान, जयपुर के सहायक प्रोफेसर डॉ एम्मानुल शुभांकर पिल्ली एवं डॉ विश्वास भारद्धाज, सीनियर साईंटिस्ट, एफएसएल, जयपुर को आमंत्रित किया गया। साईबर क्राईम के विभिन्न न्यायिक निर्णयों हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री कपिल गुप्ता को आमंत्रित किया गया। बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित विभिन्न क्राईम हेतु श्री शेखर सिंह, मैनेजर इन्वेस्टिगेशन, एचडीएफसी बैंक को आमंत्रित किया गया जिन्होने केस स्टडी के माध्यम से प्रतिभागियों को बैंकिंग फ्रॉड इन्वेस्टीगेट करने की जानकारी दी।

प्रतिभागियों को सोशियल मीडिया के संबंधित साईबर क्राईम की प्रैक्टिकल जानकारियां उपलब्ध करवाने हेतु साईबर पुलिस स्टेशन/एटीएस, जयपुर में पदस्थापित श्री गजेन्द्र शर्मा, उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक को आमंत्रित किया गया।

कोर्स के अंतिम दिन समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजीव दासोत, एडीजीपी कम डायरेक्टर, आरपीए ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कोर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की तथा कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से जो नवीनतम तकनीकी आई है उसका प्रयोग आज आम हो गया है। अतः अब अपराधी भी इस प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करने लग गए है जो कि पुलिस के समक्ष एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने हेतु युवा पुलिस अधिकारियों को तैयार रहने का आह्वान किया।

समारोह के अन्त में मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किये गये।

बाल संरक्षण कानूनों पर राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में "बाल संरक्षण" विषय पर राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिनांक 14–15 अक्टूबर 2016 को यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया।

सत्र के प्रारम्भ में नीतू प्रसाद, बाल सुरक्षा विशेषज्ञ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित बालकों के अधिकारों से संबंधित अधिघोषणा एवं भारत सरकार द्वारा सहमत उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं सहभागिता के अधिकारों पर अपनी बात रखी।

मानव तस्करी के विभिन्न मुददों पर श्री ओम प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक ने कहा कि बाल तस्करी द्वारा मुख्यतया यौन शोषण, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, घरेलू नौकर, दत्तक ग्रहण, विवाह, मनोरंजन आदि गैर–कानूनी गतिविधियाँ की जाती है।

अनुकृति उज्जैनिया, अति0 पुलिस अधीक्षक ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई में कार्यरत पुलिस उप अधीक्षक की भूमिकाओं पर चर्चा करते हुए नियमित पर्यवेक्षण एवं इसकी प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया।

डा. चेतना अरोड़ा, एडीजे ने जे.जे.एक्ट 2015 पर चर्चा करते हुए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं इनमें विशेष अपराधों के निर्धारण की प्रक्रियाओं को विस्तार से समझाया। अधिनियम में बच्चों के विरूद्ध अपराध करने पर सजा, अपराध के दुष्प्रेरण के लिए प्रावधानों, अपराधों का वर्गीकरण एवं अभिहित न्यायालयों एवं वैकल्पिक दण्ड के प्रावधानों पर जानकारी प्रदान की।

श्री महेन्द्र कुमार दवे, सी.जे.एम. ने लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा कानून 2012 पर सम्बोधित करते हुए पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर विस्तृत चर्चा की। श्री दवे ने किशोर न्याय व्यवस्था के विभिन्न विषयों यथा बोर्ड के अधिकार, जघन्य अपराधों एवं सामान्य अपराधों का निर्धारण एवं इनकी जांच एवं जमानत सम्बन्धी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने बालकों के पुलिस के सम्पर्क में आने पर पुलिस द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। श्री धीरज वर्मा ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बालश्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से बताया।

प्रशिक्षण का अन्तिम सत्र गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 पर था, जिसको श्री डी. पी. सैनी एडीपी (से.नि.) ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर प्रतिबन्ध है। अल्ट्रासाउन्ड या अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले डाक्टर, लैबकर्मी को तीन से पांच साल की सजा एवं 10 हजार से 50 हजार तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री एस. सेंगाथिर, पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी (क्राइम ब्रांच) ने कहा कि प्रशिक्षण प्रत्येक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस में इसका महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। उन्होंने कहा कि यह राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण बाल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। पुलिस अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का बेहतर पर्यवेक्षण कर पायेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अनुसंधान में साक्ष्य जुटाने, गवाहों की मौजूदगी एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों को गुणवत्तापूर्ण तरीकों से करना होगा। साक्ष्यों में जितनी अधिक मौलिकता होगी उतना ही प्रकरण अधिक मजबूत होगा, जिससे हमें अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता मिलेगी।

वीआईपी सुरक्षा पर प्रशिक्षण

संस्था में बीपीआरएण्डडी के सहयोग से दिनांक 05.12.2016 से 09.12.2016 तक पाँच दिवसीय 'वीआईपी सुरक्षा' विषय पर कोर्स का आयोजन किया गया जिसमें

गुजरात पुलिस से एक निरीक्षक व चार उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी व राजस्थान पुलिस के 18 सहायक उप निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारियों सहित 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें वीआईपी सुरक्षा विषयों पर विभिन्न अतिथि व्याख्याताओं द्वारा वीआईपी कारकेड, बेगेज हैण्डलिंग, एक्सेस कन्ट्रोल व सुरक्षा कॉर्डन, एयरपोर्ट, हेलीपेड व रूट लाईनिंग सुरक्षा, आत्मघाती हमले के दौरान सुरक्षा, खतरों का आंकलन व कन्टीजेन्सी प्लान विषयों पर व्याख्यान दिया गया। प्रतिभागियों को एडवान्स सिक्योरिटी लाईजन व एण्टी सबोटाज चैक, विभिन्न आईईडी पर व्याख्यान दिया जाकर आईईडी लैब का भ्रमण करवाया गया। कोर्स के समापन समारोह में श्री राजेश कुमार आर्य, महानिरीक्षक पुलिस, इन्टेलिजेन्स, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिभागियों को सम्बोधित कर प्रमाण–पत्र प्रदान किये गये। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक आउटडोर थे।

महिला प्रशिक्षुओं के वॉकथन द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि

वर्तमान में भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों से लडते हुए देश सेवा हेतु शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए टाइम्स ऑफ इण्डिया तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वॉकथन का आयोजन दिनांक 16.10.2016 को किया गया ।

कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान पुलिस सेण्ट्रल बैण्ड द्वारा अपनी धुनों से जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैण्ड ने शौर्य पूर्ण धुनों से उपस्थित प्रतिभागियों में जोश का संचार किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण टी0वी0 कलाकार रणविजय सिंह थे, जिन्होंने हरी झण्डी दिखाकर वॉकथन को रवाना किया। यह वॉकथन अलबर्ट हॉल, रामनिवास बाग से रवाना होकर गांधी सर्किल होते हुए वापस अलबर्ट हॉल, रामनिवास बाग आकर सम्पन्न हुई।

शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी से सुश्री वीणा, कम्पनी कमाण्डर के नेतृत्व में प्रशिक्षकों तथा 100 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने इस वॉकथन में भाग लिया।

दक्षिण एशियाई सूफी समारोह में राजस्थान पुलिस एक सूफी अवतार में

गुलाबी नगरी जयपुर में 14 से 16 अक्टूबर 2016 को दक्षिण एशियाई सूफी संगीत महोत्सव डिग्गी पैलेस जयपुर में आयोजित किया गया। इस महोत्सव के समापन सत्र में राजस्थान पुलिस के कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। श्री राजेन्द्र शेखर, पूर्व महानिदेशक पुलिस राजस्थान के मुख्य आतिथ्य तथा महानिदेशक पुलिस श्री मनोज भट्ट सहित पुलिस विभाग के सेवा निवृत्त तथा सेवारत अधिकारियों तथा देश विदेश के सुधि श्रोतागणों की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सूफी संगीत जो अमीर खुसरो, कबीर, मीराबाई, बुल्लेशाह जैसे संतो की वाणी को साकार कर आत्मा से परमात्मा के मिलन की अनुभुति करवा कर समर्पण भाव को प्रस्तुत करता है। इसी को साकार करने के लिए आयोजित इस महोत्सव में राजस्थान पुलिस के कलाकारों के प्रदर्शन हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव दासोत के शीर्ष, सफल नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में समापन समारोह में प्रस्तुति हेतु कार्ययोजना तैयार की गई। इस कार्ययोजना को मूर्त रुप दिया राजस्थान पुलिस अकादमी के सेन्ट्रल बैण्ड तथा यहां के प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षणार्थियों ने, जिन्होने पूर्ण मनोयोग से प्रस्तुतियां दी।

कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस सेन्ट्रल बैण्ड, राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रशिक्षक श्री सुबै सिंह व श्री पूनम शर्मा ने सूफियाना अन्दाज में प्रस्तुतियां दी।

राजस्थान पुलिस अकादमी के नव सृजित लंगा एवं मांगणियार बैंड ने पश्चिमी राजस्थान की परम्परा व विरासत को कोजे खान, जबल खान व उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। खड़ताल व मोरचंग की जुगलबन्दी से प्रारम्भ हुई इस प्रस्तुति ने ''दमादम मस्त कलन्दर'' की धुन को सूफियाना रुप में शानदार ढंग से पेश किया। पधारे हुए सभी अतिथियों ने कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की तथा राजस्थान पुलिस अकादमी के द्वारा प्रस्तुत इस शानदार कार्यक्रम के लिए निदेशक श्री राजीव दासोत को बधाई दी।

महिला स्वावलम्बन एवं कैंसर जागरूकता एवं जाँच कार्यक्रम

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 15.10.2016 को फिक्की फ्लो, जयपुर एवं भगवान महावीर कैंसर एवं रिसर्च अस्पताल, जयपुर के सौजन्य से महिलाओं के स्वावलम्बन एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मियों के परिवार की महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिला कल्याण केन्द्र की अध्यक्ष श्रीमती अनु भट्ट, मुख्य अतिथि के रूप में पधारी। उनके अतिरिक्त कार्यक्रम में श्रीमती कमल सम्पतराम, श्रीमती रचना गर्ग, महिला कल्याण केन्द्र की उपाध्यक्ष श्रीमती लविना दासोत के अतिरिक्त फिक्की फ्लो की उपाध्यक्षा, श्रीमती निताशा चोरड़िया एवं श्रीमती वन्दना परनामी तथा महावीर कैंसर एवं रिसर्च अस्पताल के डॉ. ललित कुमार शर्मा एवं श्रीमती सुधा पठानिया उपस्थित थे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक, अकादमी ने बताया कि अकादमी स्थित आवासीय परिसर में लगभग 1800 परिवार निवास करते हैं, जिनमें महिलाओं के कल्याण हेतु 45 वर्ष से अधिक की महिलाओं के सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता एवं जाँच हेतु भगवान महावीर कैंसर एवं रिसर्च अस्पताल के सौजन्य से कार्यक्रम रखा गया है।

इस अवसर पर डॉ0 ललित मोहन शर्मा ने महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक 7 मिनट में एक महिला को भारत में सर्वाइकल कैंसर होता है तथा प्रत्येक आठ में से एक महिला को कैंसर होने के खतरा है। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष के पश्चात् कैंसर की जाँच अवश्य करवानी चाहिए। उन्होंने स्तन कैंसर के बारे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मेमोग्राफिक जाँच के द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में कैंसर का पता चलने पर इलाज आसानी से किया जा सकता है। जाँच में विलम्ब या अग्रिम स्थिति में कैंसर का पता चलने पर इलाज मंहगा व मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भारत में होने वाले समस्त प्रकार के कैंसर रोगों में 30 प्रतिशत सर्वाइकल कैंसर ही होते हैं। इस कैंसर के लिए बाजार में टीका भी उपलब्ध है। उन्होंने महिलाओं से अपने घरों में तम्बाकू छुड़वाने की शपथ दिलवाने का आग्रह भी किया तथा बहनों से रक्षा बन्धन पर राखी बाँधते समय भाईयों से तम्बाकू छोड़ने की शपथ लेने पर बल दिया गया।

श्रीमती अनु भट्ट ने महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों की अधिकतम लोगों को जानकारी देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अकादमी तथा महिला कल्याण केन्द्र के साझे प्रयास से किये जा रहे कार्यों के लिए अकादमी निदेशक को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अकादमी के आवासीय परिसर की 25 महिलाओं को कैंसर की जाँच हेतु भगवान महावीर कैंसर अस्पताल भी भिजवाया गया।

Training Courses conducted during the Quarter from 01.10.2016 to 31.10.2016

Basic Training Courses

S.No.	Particulars	Batch No.	No. of trainees	Duration
1	IPS(P)	68	4	13.12.2016 to 21.01.2017
2	RPS (Probationer)	47	45	08.03.2016 to 23.12.2016
3	Sub Inspector (Probationer)	42	16	08.12.2016 to 23.12.2016
4	PC (RAC) to SI(AP) Induction Course	20	8	19.12.2016 to 18.03.2017
5	Recruit Constable (Band Basic)	65	55	09.05.2016 to 08.09.2016
6	Recruit Constable (Lady)	66	189	20.06.2016 to 19.03.2017
7	Constable (Band Professional)	10	63	14.03.2016 to 23.12.2016
8	CISF Constable (Band Professional)	01	45	28.03.2016 to 23.12.2016
9	Constable (Band Professional)	11	56	10.10.2016 to 09.06.2017
10	Sub Inspector (Transport Dept.)	07	130	26.09.2016 to 04.12.2016
			611	

Promotion Cadre Courses

S.No.	Particulars	Batch No.	No. of trainees	Duration
1	Promotion Cadre Course for FC to HC (Band)	05	04	01.03.2016 to 21.07.2016
2	Promotion Cadre Course for HC to DI (Band)	02	02	04.07.2016 to 02.09.2016
3	Promotion Cadre Course for HC to ASI	52	121	18.07.2016 to 18.09.2016
		53	135	19.09.2016 to 15.12.2016
4	Promotion Cadre Course for ASI to SI	45	80	30.05.2016 to 12.07.2016
		46	187	20.06.2016 to 21.08.2016
		47	102	30.05.2016 to 05.12.2016
5	Promotion Cadre Course for SI to CI	70	83	30.05.2016 to 09.08.2016
			714	

In Service Courses

S.No.	Particulars	No. of courses	No. of trainees	Sponsored by
1	Anti- Human Trafficking Course	1	28	Shakti Vahini
2	Investigation of Cyber Crime Cases	3	83	BPR&D, In House
3	Investigation of Economic Crime Cases	2	51	In House
4	Investigation of Organized Crime	3	104	In House
5	Station House Management	1	15	BPR&D
6	VIP Security	1	23	BPR&D
7	Improvement in Police Behavior	1	37	In House
8	Gender Budgeting (MWCD), New Delhi	1	28	MWCD, CDPSM
9	Child Protection (UNICEF), Jaipur	2	55	UNICEF &CDPSM
10	Social Defence for middle level functionaries of Police , NISD,New Delhi	1	34	NISD &CDPSM
		16	458	

पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए
महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

Editorial Board

Editor in Chief
Rajeev Dasot, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Rajesh Kumar Sharma (DD)
Sanjeev Nain (AD)
Alok Srivastava (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Laxman Singh Manda (AD)
Dilip Saini (AD)
Dheeraj Verma (Insp.)

Photographs by : Sagar
Typing by : Makhani

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph. : +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : director.rpa@rajpolice.gov.in Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Premier # 0141-2295097